छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा
प्रथम सत्र

लेफ्टि.जन. (से.नि.) के.एम. सेठ

पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 23 दिसम्बर, 2003

माननीय सदस्यगण,

छत्तीसगढ़ राज्य के पहले विधान सभा चुनाव में निर्वाचित होकर, इस सदन में पहुंचे आप सभी सदस्यों का, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र के सबसे पावन कर्तव्य का निर्वाह करते हुए राज्य की जनता ने परिवर्तन का जनादेश दिया है। देश के संविधान में निहित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आए आप सभी जन–प्रतिनिधियों पर न सिर्फ मतदाताओं की उम्मीदें पूरी करने की जिम्मेदारी है, बल्कि छत्तीसगढ़ में उपलब्ध विकास की अपार संभावनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। दो करोड़ से अधिक जनता की आंखों में बसे सपनों को जमीनी सच्चाई में ढालने का संकल्प पूरा करने के लिए, मेरी शुभकामनाएं।

2. मेरी सरकार जनादेश का सम्मान करते हुए भयमुक्त एवं विधिसम्मत शासन व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए न्याय और कानून का राज स्थापित करने की शुरूआत कर दी गई है। सरकार ने भय एवं भ्रष्टाचार से मुक्त संवेदनशील और जबावदेह प्रशासन तंत्र विकसित करने का संकल्प लिया है। प्रशासन को मितव्ययी, निष्पक्ष तथा सर्वसुलभ बनाया जाएगा, जो आम जनता की पहुंच में रहे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी निभा सके।

3. सरकार राजनैतिक एवं अन्य सभी प्रकार के हस्तक्षेपों से मुक्त ईमानदार, चुस्त–दुरूस्त, संवेदनशील और आम जनता के हितों का संरक्षण करने वाला पुलिस प्रशासन उपलब्ध कराएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए आम जनता के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास जगाया जाएगा और अपराध पर सख्त अंकुश लगाया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक आदि समाज के सभी वर्गों को पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

4. मेरी सरकार वनवासी तथा आदिवासी क्षेत्रों में पनप रहे हिंसक संगठनों में शामिल युवाओं को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसे क्षेत्रों की समाजिक व आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। सरकार नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से सभी संभव कदम उठाएगी। सरकार के प्रयासों के बावजूद यदि हिंसक वारदातों पर अंकुश न लगा, तो मेरी सरकार सख्त कार्यवाही भी करेगी।

5. कमजोर तबकों की विवशता का लाभ उठाकर उन्हें धर्मान्तरण के लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ कानून को कड़ा बनाया जायेगा। साथ ही उनकी विवशताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

6. मेरी सरकार प्रथम चरण में राज्य के सभी विकासखंड मुख्यालयों में 'अन्नपूर्णा दाल–भात केन्द्र' की स्थापना कर, वहां से पांच रूपये में भरपेट दाल–भात उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। खाद्य सुरक्षा के लिए की जाने वाली परम्परागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही, पका हुआ खाना भी इन केन्द्रों से उपलब्ध कराने की व्यवस्था निश्चय ही प्रभावकारी साबित होगी।

7. किसान हमारे अन्नदाता हैं। छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है और यहां कृषि विकास की महती संभावनाएं हैं। मेरी सरकार शीघ्र ही नई किसान नीति तैयार करेगी, जिसके तहत किसानों के चहुंमुखी विकास के हर संभव कदम उठाए जाएंगे। वर्तमान किसान आयोग को और अधिक अधिकार –संपन्न बनाया जाएगा।

8. किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों का सही दाम दिलाने के लिए मेरी सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। इस वर्ष धान खरीदी की व्यवस्था की गई है और यह कार्य समुचित रूप से चल रहा है। मेरी सरकार ने किसानों का पूरा धान खरीदने की व्यवस्था की है।

9. सिंचाई, शुद्ध पेयजल और निस्तारी के लिए पानी और हर घर तथा खेत में बिजली को मेरी सरकार ऐसी बुनियादी जरूरत मानती है, जिसके बिना न तो कोई किसान खुशहाल रह सकता है और न ही कोई ग्रामीण, अतः इसके लिए शीघ्र परिणाममूलक व समयबद्ध योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

10. मेरी सरकार ने सिंचााई सुविधाएं बढ़ाने के संकल्प के साथ ही किसानों को उनकी पुरानी समस्याओं के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए, लघु तथा सीमांत कृषकों का दो हजार पांच सौ रूपए तक का बकाया कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पुराना बकाया सिंचाई कर माफ करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाएगी। सिंचाई कर की वर्तमान दरों को कम करने के लिए भी समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा।

11. मेरी सरकार किसानों को सस्ते और अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए 'बीज निगम' का गठन शीघ्र करेगी। वहीं फसल बीमा योजना और आनावारी निर्धारित करने की प्रणाली को ऐसा बनाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ हो।

12. मंडी समितियों तथा सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली हेतु मेरी सरकार नियमित चुनाव सुनिश्चित करने के आवश्यक कदम उठाएगी।

13. सरकार अपने संकल्प के अनुसार 'किसान उद्धार समिति' का गठन कर 'आपदा कोष' का शीघ्र निर्माण करेगी। इसी तरह किसानों और गांव वालों की बेहतरी के काम व्यापक जनभागीदारी से किए जाएंगे।

14. भू–राजस्व संहिता तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र, जो मूलतः अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के लिए बने थे, उनके प्रावधानों का परीक्षण कर, उनमें छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन किया जाएगा।

15. सरकार गौ–वंश की रक्षा को अपना कर्तव्य समझती है इसलिए गौ–हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा नस्ल सुधार कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संचालित कर पशुधन संवर्धन से लोगों की आय का जरिया बढ़ाया जाएगा। गौ–शालाओं की स्थापना का बढ़ावा दिया जायेगा।

16. सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप 12वीं तक शिक्षित गरीबी रेखा के नीचे के बेराजगारों को 500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है, जिसे 1 अप्रैल, 2004 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा भी शिक्षित बेरोजगारों को अनेक तरह से राहत और अवसर देने के उपाय किए जा रहे हैं।

17. मेरी सरकार केन्द्र के प्रत्येक लाभकारी योजना से राज्य के हर तबके को लाभान्वित करवाने के लिए कटिबद्ध है। विशेषतौर पर रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ाने के संकल्प को शीघ्र पूरा किया जा सके। उद्योग, व्यापार, सेवा जैसे आर्थिक क्षेत्रों में उत्साह का संचार कर मेरी सरकार रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करेगी।

18. सरकार द्वारा गांवों में उपलब्ध कौशल और ज्ञान से गांव वालों के स्वरोजगार के अवसरों को और अधिक बढ़ाया जाएगा। इस दिशा में मेरी सरकार हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग के विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित करेगी तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक उपाय करेगी।

19. राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में नमक एक अनिवार्य वस्तु है, जिसकी उपलब्धता व प्रदाय हमेशा ही संवेदनशील माना गया है। मेरी सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को 25 पैसे प्रति किलो की दर पर सहजता से नमक उपलब्ध कराएगी। यह व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

20. मेरी सरकार आदिवासी क्षेत्रों तथा वहां बसने वाले लोगों के विकास में शिक्षा के महत्व को बखूबी समझती है। आदिवासी क्षेत्रों में कन्या शिक्षा की कमजोर स्थिति पर ध्यान देते हुए हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल दी जायेंगी। आश्रम शालाओं की संख्या में क्रमशः इतनी बढ़ोतरी की जाएगी कि कोई भी जरूरतमंद आदिवासी विद्यार्थी इस सुविधा से वंचित न रहे। ऐसे सार्थक प्रोत्साहनों से बच्चे शिक्षा के लिए प्रेरित होंगे।

21. आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आदिवासी संस्कृति की विशेषताओं को उभारकर, उनकी सक्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तीरंदाजी के क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने और उत्कृष्ट प्रतिभा के सम्मान के लिए 'स्व. महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव स्मृति पुरस्कार' प्रारम्भ किया जाएगा।

22. मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए ऐसे काम करने पर विश्वास करती है, जो इन तबके के लोगों के व्यक्तिगत सामर्थ्य में बढ़ोतरी करें। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी अधोसंरचना का विकास तेजी से करने के लिये समन्वित कदम उठाए जायेंगे।

23. मेरी सरकार सन् 1980 तक वनभूमि पर काबिज आदिवासियों को भूमि के पट्टे प्रदान करेगी और सन् 1990 तक वन भूमि में काबिज आदिवासियों को भूमि का मालिकाना हक और पट्टे प्रदान करने हेतु भी प्रयास करेगी। वन–ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का संकल्प पूरा करने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

24. वनों को वनवासियों की जीवनशैली का अनिवार्य हिस्सा मानते हुए मेरी सरकार वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपेगी। वनोपज पर आश्रित वनवासियों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए बहुआयामी प्रयास किया जाएगा। इसके तहत वनोपज संग्रह तथा इसके कारोबार से जुड़े लोगों को वनोपज का उचित मूल्य और लाभ में हिस्सा दिया जाएगा। तेन्दूपत्ता तोड़ाई के लिए वाजिब पारिश्रमिक दिया जाएगा। 'वन औषधि बोर्ड' के सहयोग से वनौषधियों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दिया जाएगा तथा वन आधारित उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा।

25. स्वच्छ, उत्तदायी और पारदर्शी प्रशासन की अहमियत के बारे में अपनी सरकार की दृष्टि का जिक्र मैंने पहले भी किया है। उद्योग, वाणिज्य, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रों में भी सरकार उसी संवेदनशीलता और ईमानदारी को बढ़ावा देगी। करों का युक्तियुक्तकरण और लाइसेंस अथवा अनुमति देने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण ही आर्थिक क्षेत्रों में उत्साह का संचार कर सकता है। सरकार छोटे दुकानदारों को लाइसेंस प्रदान करने के नियमों का सरलीकरण प्राथमिकता से करेगी ताकि वे अनावश्यक परेशानी से बच सकें।

26. राज्य में उपलब्ध अपार नैसर्गिक संसाधनों का संतुलित विदोहन कर मेरी सरकार राज्य को विकास के पथ पर ले जाएगी। राज्य की वन सम्पदा, खनिज सम्पदा एवं जन सम्पदा के आधार पर राज्य के औद्योगीकरण को गति दी जाएगी। हमारा लक्ष्य यह रहेगा कि राज्य के कच्चेमाल के आधार पर उद्योग राज्य में ही स्थापित हों और उपलब्ध संसाधनों का मूल्य संवर्धन यहीं पर हो। राज्य की औद्योगिक एवं खनिज नीतियों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उद्योगों की रियायतों को स्थानीय लोगों के रोजगार के साथ जोड़ा जाए।

27. छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विशेषता और प्राकृतिक संपदाओं से आकर्षित होकर यहां उद्योग लगाने वाले निवेशकों की आशंकाओं को दूर कर उन्हें आश्वस्त करने के लिए सरकार विद्यमान नीतियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा कर उनमें आवश्यक बदलाव करेगी। अधोसंरचना के विकास को प्राथमिकता देकर निवेशकों के मन में विश्वास जागृत करने की रणनीति पर भी कार्य किया जाएगा।

28. मेरी सरकार गांवों में अनवरत बिजली प्रदाय करने के लिए चरणबद्ध कदम उठाएगी। राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बिजली दरें युक्तियुक्त रहें। बिजली को राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुविधा का जरिया बनाया जाएगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि गांवों और किसानों का बिजली पर पहला हक रहे, साथ ही औद्योगिक विकास और रोजगारमूलक संभावनाओं को अमलीजामा पहनाने में भी बिजली की अहम भूमिका रहे।

29. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार को मेरी सरकार एक अहम जिम्मेदारी मानती है। छोटी–छोटी बसाहटों से लेकर गांवों और शहरों तक हर स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर उच्च स्तर तक के अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति तथा आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वनवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल यूनिटों तथा एम्बुलेंस की संख्या में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की जाएगी। वहीं बड़े अस्पतालों के पास धर्मशालाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि गरीब बीमारों तथा उनके परिवारजनों को सुविधा हो।

30. आधुनिक उपचार की समुचित सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही, मेरी सरकार आयुर्वेदिक औषधियों के शोध और अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

31. मेरी सरकार शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए पाठ्यक्रमों में आवश्यक बदलाव करेगी। एक ओर जहां 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर भवन, अध्यापक, प्रयोगशाला, मैदान, पुस्तकालय, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण जैसे बुनियादी अभावों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

32. सरकार निजी शिक्षण संस्थानों में बढ़ोतरी और उनके सकारात्मक योगदान का जरूर प्रोत्साहित करेगी, लेकिन इसकी आड़ में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर सख्ती से अंकुश भी लगाएगी। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह की अराजकता को समाप्त किया जाएगा।

33. सरकार चिकित्सा तथा अभियांत्रिकी शिक्षा के नए आयामों पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसे पाठयक्रमों को बढ़ावा देगी, जो एक ओर छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, वहीं दूसरी ओर रोजगार के नए आयाम और अवसर भी उपलब्ध कराएं। इस दिशा में केन्द्र शासन तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं की मदद भी ली जाएगी।

34. नैनिहालों के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार वचनबद्ध है। इसलिए शासकीय विद्यालय और महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र को दुर्घटना बीमा योजना का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना चाहती है। इस दिशा में आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

35. अल्पसंख्यक वर्गों के जीवन स्तर में सुधार और उनके विकास के लिए हर संभव उपाय करने के लिए भी मेरी सरकार संकल्पित है। उन्हें आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ ही, अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से इस वर्ग को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के कदम भी उठाये जाएंगे।

36. मेरी सरकार कानून व्यवस्था का ऐसा वातावरण बनाएगी जिसमें महिलाएं पूर्णतः सुरक्षित रहें और यदि कोई प्रताड़ित करने की हिमाकत करता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही हो। महिला उत्पीड़न एवं अत्याचार पर कारगर कदम उठाने के लिए जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महिलाओं की समिति का गठन किया जाएगा, जो महिलाओं के साथ घटित घटनाओं की समीक्षा कर मार्गदर्शन देगी।

37. महिला आयोग को सशक्त बनाया जाएगा। महिला समूहों का गठन कर महिलाओं को परिवार एवं ग्रामों के समग्र विकास में भागीदार बनाया जाएगा।

38. सरकार राज्य में महिलाओं को शासकीय और अन्य नौकरियों में प्राथमिकता देने के साथ ही उन्हें स्वरोजगारी बनाने पर ध्यान देगी। हर जिले में व्यवस्थित और आधुनिक महिला मार्केट बनाए जाएंगे जिसमें सिर्फ महिलाएं ही दुकान तथा व्यवसाय का संचालन करेंगी। कामकाजी महिलाओं को उचित और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार समुचित कदम उठाएगी।

39. गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली महिलाओं का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, इसके लिए मेरी सरकार 'सुखी दाम्पत्य योजना' शुरू करेगी, जिसके तहत उन्हें विवाह के तीन माह के भीतर कम ब्याज पर व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

40. मेरी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाकर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की हिमायती है। गांवों में त्रि–स्तरीय पंचायत–राज व्यवस्था को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। पंचायतों को राशि वितरण की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। नगरीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी समस्त वैधानिक अधिकार सौंपे जाएंगे।

41. गांव की समस्याओं का निराकरण गांव में ही करने की व्यवस्था मजबूत करने के लिए मेरी सरकार हर गांव में ग्रामीण सचिवालय को सशक्त बनाएगी।

42. सरकार शहरों में भी अच्छे स्तर की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहरों के नियोजित विकास को अपना कर्तव्य मानती है, अतः शहरों को अतिक्रमण एवं प्रदूषण मुक्त तथा स्वच्छ रखने हेतु योजनाबद्ध कदम उठाएगी। अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल तथा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बड़े नगरों में ट्रान्सपोर्ट नगरों का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। शहरों के व्यस्त रहवासी इलाकों से हटकर 'गोकुल नगर' का विकास किया जाएगा, जहां डेयरियां व्यवस्थित की जा सके, इससे रहवासी इलाकों में मच्छरों और गंदगी की रोकथाम हो सकेगी।

43. आवासहीनों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में 'अटल आवास योजना' प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। दस रूपए प्रतिदिन नाममात्र की राशि पर साफ–सुथरे परिवेश में ये आवास आवंटित किए जाएंगे।

44. सहकारिता के क्षेत्र में वास्तविक जरूरतमंद लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें संरक्षण देने की भावना से कार्य किया जाएगा। जरूरतमंद तबकों, किसानों तथा ग्रामीणों की बेहतरी के उद्देश्य से गठित तथा संचालित सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारिता के क्षेत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के जरिये लोकतांत्रिक ढंग से पवित्र किया जायेगा।

45. मेरी सरकार छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्व के स्थानों को प्रमुख पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करेगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखेगी कि इन पर्यटन स्थलों पर आवासीय सुविधाएं सस्ती तथा आम लोगों की पहुंच में रहें। एक विस्तृत कार्ययोजना बनाकर इन पर्यटन केन्द्रों में अच्छी अधोसंरचना का विकास तथा पर्यटकों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। सरकार की मान्यता है कि ये पर्यटन स्थल स्थानीय आबादी के सहयोग द्वारा ही सुरक्षित रह पाते हैं, अतः यहां पर्यटकों का आगमन बढ़ने का लाभ स्थानीय लोगों को ही मिलना चाहिए।

46. मेरी सरकार शासकीय कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करेगी और उनके जायज हकों के प्रति संवेदनशील रहेगी। साथ ही यह भी चाहेगी कि सरकारी कर्मचारी समाज के सामने कर्मठता और ईमानदारी की मिसाल बनें। प्रोफेशनल टैक्स के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करेगी। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को अधिक उदार बनाया जाएगा।

47. नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण की प्रणाली को जनोन्मुखी बनाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर शिकायत निवारण के लिए समय–सीमा तय करेगी और मंत्रियों को भी इस बाबत निरंतर देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

48. सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में व्यापक जनभागीदारी तथा विशेषज्ञों के सुझावों का स्वागत करेगी, इसके लिए विधिवत् 'राज्य विकास परिषद्' का गठन किया जाएगा।

49. मेरी सरकार का मानना है कि अपार उत्साह और अकूत प्राकृतिक संसाधन छत्तीसगढ़वासियों को खुशहाल बनाने की बाट जोह रहे हैं। किसान, गरीब, आदिवासी, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के हृदय में यह बात समाई हुई है कि अब उनके सपने पूरे होने के दिन आ गए हैं। नवनिर्माण की इस बेला में मेरी सरकार आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक नए अध्याय की शुरूआत करने जा रही है। आप और जनता के सहयोग से ही यह अध्याय रचा जाएगा।

आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाओं सहित।

जय हिन्द–जय छत्तीसगढ़।